उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.232-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023
लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित हो, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त की धनराशि से अधिक नहीं हो, जिसके ऊपर एक पूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे, अर्थात् :--

(i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय पूर्ति नहीं करेंगे ;

(ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से अधिक में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से मालों की पूर्ति नहीं करेंगे ;

(iii) ऐसे व्यक्तियों से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यां रखने की अपेक्षा की जायेगी;

(iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किसी माल की पूर्ति करने से पूर्व, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्या, अपने कारबार के स्थान का पता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें ऐसी पूर्ति करने का इच्छुक हो सामान्य पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो सामान्य पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अध्यधीन होगा;

(v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्या के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है;

(vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;

(vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किसी माल की पूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो; और

(viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्वर्ती अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी दिनांक से विधिमान्य नहीं रह जाएगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव